न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री संजीव कुमार खेदर आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 13/2016

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
लाबूराम पुत्र नैनारामजी जाति बिश्नोई निवासी इन्द्रा कॉलोनी सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)	बनाम	सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर जिला जालोर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर एक्ट

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी वकील श्री सदराम बिश्नोई एवं जयप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
2– अप्रार्थी की ओर से राज पेरोकार उपस्थित।

निर्णय   दिनांक 25/07/023

01– यह है कि प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम डेडवा के पुराना खेत खसरा संख्या 544 रकबा 07 बीघा 16 बीस्वा, खसरा संख्या 561 रकबा 14 बीघा 13 बीस्वा जुमले रकबा 22 बीघा 09 बीस्वा किस्म जमीन बारानी द्वितीय खातेदार जेठा पुत्र अचला कौम ब्राहमण था जो भूमि द्वितीय सर्वे तक उसी कदर दर्ज रही यह भूमि जेठा से आगे रूपाराम पुत्र ताराराम व भंवरलाल पुत्र दीपाराम के नाम दर्ज हुई, उस में से कुछ भूमि जरिये बैचान नवाराम पुत्र थानाराम निवासी खिरोडी, पुखराज पुत्र लुम्बाराम गुडामालानी के नाम होकर बंटवाडा किया गया, उक्त पुराना खेत खसरा संख्या 544 व 551 के नये सर्वे के दौरान खसरा संख्या 621, 622, 623, 654, 658/957 रकबा कमंशः 0.38, 0.06, 0.82, 1.86, 0.025 जुमले रकबा 3.37 हैक्टर नवसृजित किये गये जिसमें बाद बंटवाडा खसरा संख्या 623 में से रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा संख्या 1[illegible] रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा संख्या 658/957 रकबा 0.06 [illegible] पुखराज पुत्र लुम्बा के नाम दर्ज हुआ, खसरा संख्या 1106/623 र[illegible] 0.14 हैक्टर, खसरा [illegible] 1107/654 रकबा 0.34 हैक्टर [illegible]7 रकबा 0.04 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 11:48:27 IST
Reason: SelfAttested

25/7/23

Scanned with OKEN Scanner

जुमले रकबा 0.53 हैक्टर नवाराम पुत्र थानाराम के नाम व खसरा संख्या 621 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा संख्या 1109/623 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा संख्या 1110/623 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा संख्या 1111/654 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा संख्या 654 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा संख्या 1112/857 रकबा 0.05 हैक्टर, खसर संख्या 1113/957 रकबा 0.10 हैक्टर जुमले रकबा 1.99 हैक्टर रूपाराम व भंवरलाल के नाम दर्ज रहा।

उक्त रूपाराम व भंवरलाल के नाम दर्ज भूमि में से खसरा नम्बर 621 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा संख्या 1109/623 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा संख्या 1111/654 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा संख्या 1112/957 रकबा 0.05 हैक्टर जरिये बैचान मणीलाल के नाम दर्ज हुई जिससे उक्त आराजी प्रार्थी ने खरीद की थी।

पुराना खेत खसरा संख्या 544 के नवसृजित खसरा नम्बर 622 हुयें जिसमें खसरा नम्बर 544 की किस्म बारानी दोयम थी व है परन्तु नये सर्वे अधिकारियों ने नवीन खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जिसके लिए खातेदार ने कभी किस्म परिवर्तन का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है तथा न ही कोई सहमति दी है। सर्वे अधिकारियों ने पुराना खसरा संख्या 544 की किस्म बारानी दोयम होते हुयें उसके नवीन खसरा संख्या 622 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है जो ऐसा करने का उनको कतई विधिक अधिकार नहीं था तथा न ही किसी खातेदार ने इस संबंध में कोई आवेदन दिया तथा न ही मौके पर खसरा संख्या 622 में कोई रास्ता है। अंत में निवेदन किया कि खसरा संख्या 622 की किस्म भी द्वितीय दर्ज किया जाकर मूल खसरा संख्या 621 के साथ मिलाया जावे।

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 622 मौक पर रास्ता के उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, इसी खसरा के पास से अन्य कटाण रास्ता गुजर रहा है। यदि खसरा संख्या 622 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बारानी स[illegible] दर्ज की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी की ओर से जमाबंदी खाता संख्या 103, खसरा संख्या 621, 622, 1109/623, 1111/654, 1112/957 व नक्शा, जमाबंदी खाता संख्या 33, मिलान क्षेत्रफल, पुराना नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2036–2039, मिशल बंदोबस्त संवत् 2012–31 की पेश की जो शामिल पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 11:48:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुयें अपनी बहस में निवेदन किया कि पुराना खेत खसरा संख्या 544 से वर्तमान खेत खसरा संख्या 621, 622, 623 नवसृजित किये गये जिसमें खसरा संख्या 621 व 623 की किस्म बारानी सोयम है तथा खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया जो कतई गलत है तथा मौके पर कभी रास्ता न रहते हुयें भी द्वितीय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कानून से परे जाकर विधि विरूद्व तरीके से खसरा संख्या 622 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी गई तथा खसरा संख्या 621 व 622 मौके पर पूरा एक चक होते हुयें भी रास्तानुमा लाईन बताकर नक्शे में तथा किस्म में परिवर्तन कर दिया गया जो गलत है तथा न ही किसी काश्तकार द्वारा उक्त खसर संख्या 622 को रास्ता दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया, बावजूद सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा कानून से परे जाकर खसरा संख्या 622 की किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर रास्तानुमा लाईन दर्शा दी गई जिसे न्यायहित में नक्शे में रास्तानुमा लाईन को हटाकर खसरा संख्या 622 की किस्म गैरमुमकिन रास्ता की जगह बारानी सोयम दर्ज किया जावें।

मैनें विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से पेश खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 31, जमाबंदी संवत् 2036–39 का अवलोकन किया गया, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012–31 में पुराना खेत खसरा संख्या 644 रकबा 07 बीघा 16 बीस्वा जिसकी किस्म बारानी सोयम दर्ज है तथा इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2036–39 में भी उक्त खसरा नम्बरान की किस्म बारानी सोयम दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने से पुराना खेत खसरा संख्या 544 से नवीन खेत खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर नवसृजित होना पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि पुराना खेत खसरा संख्या 544 से नवीन खेत खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर नवसृजित हुआ तथा पुराना खेत खसरा संख्या 544 से बने नवीन खेत खसरा संख्या 621, 623 की किस्म बारानी सोयम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बारानी सोयम दर्ज है किन्तु मात्र खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी गई है तथा राज पेरोकार की ओर से प्रस्तुत जवाब से भी यह पाया जाता है कि [illegible] खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर मौके पर कोई रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 11:48:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

तहसीलदार सांचोर को आदेशित किया जाता है कि मौजा डेडवा के वर्तमान खेत खसरा संख्या 622 रकबा 0.06 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता की बजाय उक्त खसरा नम्बरान की किस्म बारानी सोयम दर्ज की जावें तथा रास्तानुमा लाईन को हटाकर नक्शे में दुरूस्ती की जावें।

(संजीव कुमार खैदर)
उपखण्ड अधिकारी सांचोर
सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

निर्णय आज दिनांक 25/7/023 को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचोर
सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 11:48:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner